

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मथुरा

दिनांक-जून 09, 2020


आदेश

इंसीडेंट कमाण्डेंट/उप जिला मजिस्ट्रेट, छाता, मथुरा श्री हनुमान प्रसाद के आज प्राप्त पत्र के अनुसार बाह्य न्यायालय छाता हॉट स्पॉट/कन्टोन्मेंट जोन के अंतर्गत आ गया है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या 1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated 03 June 2020 के अनुपालन में बाह्य न्यायालय छाता, मथुरा को तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेश तक बंद किया जाता है।

बाह्य न्यायालय छाता, मथुरा के दोनों न्यायालयों का आवश्यक कार्य उक्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों द्वारा जनपद न्यायालय परिसर, मथुरा में बैठकर सम्पादित किया जायेगा।

सभी संबंधित सूचित हों।



(साधना रानी ठाकुर)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मथुरा

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित-

- 1-बाह्य न्यायालय, छाता, मथुरा के पीठासीन अधिकारीगण
- 2-इंसीडेंट कमाण्डेंट/उपजिला मजिस्ट्रेट, छाता, मथुरा
- 3-जिलाधिकारी, मथुरा
- 4-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा
- 5-अध्यक्ष/सचिव बार एसोसिएशन, छाता, मथुरा

इंसीडेंट कमाण्डेंट/उपजिला मजिस्ट्रेट, छाता, मथुरा को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रतिदिन छाता हॉट स्पॉट/कन्टोन्मेंट जोन के संबंध में आख्या प्रेषित करें।


(साधना रानी ठाकुर)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मथुरा